जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर दिनॉक 14.07.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 31वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व कुल 10,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

<u>कार्यवाहीः –</u>

दिनांक 26.02.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त सावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 500 ग्राम प्रतिबंधित अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 104/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सावेज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.07.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–03 एनडीपीएस एक्ट द्वारा अभियुक्त सावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 104/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 05 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

<u>नोट–</u> उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सावेज उपरोक्त थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 297ए) अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली शहर पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैगस्टर एक्ट, एनडीपीएस व जानलेवा हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में करीब 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

<u>दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–</u>

1– सावेज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद **दिनॉक 14.07.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सऐप) पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.07.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सऐप) पर अभियुक्त कासिफ पुत्र महमूद निवासी मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के संबंध में आपत्तिजनक कमेंट किया गया। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 352 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 14.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त कासिफ पुत्र महमूद निवासी मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को धारा 170/135/126 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.कासिफ पुत्र महमूद निवासी मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 14-07-2025**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/25 धारा 115(2)/125/288/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2025 को वादी श्री हरीश कुमार पुत्र लल्लू सिह निवासी ग्राम बालापुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर के द्वारा थाना नहटौर पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1- सुमित कुमार पुत्र राकेश 2- अतुल पुत्र राकेश 3- अनिल पुत्र महेश 4- गजराज पुत्र डूगर सिंह ग्राम बालापुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने वादी के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए अभि0 सुमित के द्वारा लाइसेन्सी बन्दूक से हवा मे फायर किया गया। इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 115(2)/125/288/352/351(3) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र राकेश निवासी ग्राम बालापुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बंदूक सहित गिरफ्तार किया गया तथा रास्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट अगल से प्रेषित की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जा रही है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

सुमित कुमार पुत्र राकेश निवासी ग्राम बालापुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम का विवरण :-

1- उ0नि0 सागर चौधरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी भजनलाल थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 14-07-2025**

थाना नहटौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

<u>सक्षिप्त विवरण-</u>

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है जिसमे लोगों की धार्मिक भावनायें आहत हुई तथा आम जनमानस में रोष व्याप्त हुआ। स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त फेसबुक आईडी व फोटो की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि थाना नहटौर के ग्राम मुस्सेपुर निवासी जाने आलम पुत्र मौ0 अकरम के द्वारा पोस्ट किया गया है पोस्ट का तत्काल सज्ञांन लेते हुये थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 270/302 बीएनएस बनाम जाने आलम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

<u>कार्यवाही विवरण-</u>

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जाने आलम पुत्र मौ0 अकरम निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–</u>

मौ0 अकरम निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

<u>पुलिस टीम का विवरण :-</u>

1. उ0नि0 हरिप्रकाश सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी रोहित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 14-07-2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 231/25 धारा 70(2)/123 बीएनएस व धारा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.2025 को वादिया ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि उसकी बेटी दिनांक 10.07.2025 की शाम को कस्बा नूरपुर में अपनी बीमार सहेली को देखने गई थी। रात्रि 21.00 बजे वादिया की बेटी व उसकी सहेली धामपुर तिराहे के पास खडी थी तभी अभियुक्त फरमान पुत्र अख्तर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर जो वादिया की सहेली को पहले से जानता था, 03 अज्ञात लडको के साथ वहां आया और दोनो को कोई नशीला पदार्थ मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पिलाकर वादिया की बेटी के साथ मौ0 शहीदनगर स्थित फिल्ड में ले जाकर गलत काम किया तथा इसके बाद दोनो लडकियों को नूरपुर-मुरादाबाद रोड स्थित होटल में छोड दिया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 70(2)/123 बीएनएस व धारा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है। पीडिता ने अपने कथनों में बताया कि उसकी सहेली पूर्व से ही अभियुक्त फरमान उपरोक्त को जानती थी तथा अभियुक्त फरमान ने पीडिता के साथ गलत काम किया, वहां पर दो अन्य लडके भी खडे थे। साथ ही फरमान व वहां पर मौजूद 01 अन्य व्यक्ति ने पीडिता की सहेली के साथ मारपीट भी की थी। उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त फरमान के पडोसी गुलफाम पुत्र नजाकत का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 14.07.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फरमान पुत्र अख्तर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

फरमान पुत्र अख्तर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण :-

1- म0उ0नि0 जूही थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2- आरक्षी अक्षय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3- होमगार्ड रविन्द्र नाथ त्यागी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर   दिनांक 14-07-2025

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 115/25 धारा 333/65(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2025 को वादी द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.07.2025 को अभियुक्त विष्णू पुत्र परमजीत निवासी ग्राम चकउदयचन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0-115/2025 धारा 65(1)/333/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 14.07.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विष्णू पुत्र परमजीत निवासी ग्राम चकउदयचन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

विष्णु पुत्र परमजीत निवासी ग्राम चकउदयचन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण :-

1.थाना प्रभारी निरी0 मृदुल कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 507 प्रवेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक 14-07-2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 266/2025 धारा 85/108 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.2025 को वादी श्री सुनेहरी सिंह पुत्र चन्दरु सिंह निवासी ग्राम नवादा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.राहुल कुमार पुत्र अमर सिह 2.ज्योति पुत्री अमर सिंह 3.रीना पुत्री अमर सिंह 4.अमर सिह पुत्र सरजीत सिंह 5.सावित्री पत्नी अमर सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मिठ्ठेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित किया करते थे, दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त राहुल व उसके परिजनों द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट की गयी, जिससे क्षुब्ध होकर उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 266/2025 धारा 85/108 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 14.07.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र अमर सिह निवासी ग्राम मिठ्ठेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

राहुल कुमार पुत्र अमर सिह निवासी ग्राम मिठ्ठेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण :-

1.उ0नि0 उमेश चन्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 385 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर